संख्या ए-12023/4/2019-प्रशा.IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

पाँचवा तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 13 अक्तूबर, 2021

रिक्ति परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पदों पर चयन-आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

1. **अधिकरण :** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत और दिवाला शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 61, आईबीसी, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित एक अपीलीय अधिकरण है। एनसीएलएटी की मुख्य पीठ नई दिल्ली मे स्थित है और दूसरी पीठ चेन्नई में स्थित है। अन्य पीठ, यदि कोई हो, तो देश के अन्य भागों में गठित की जाएगी, जैसा भी निर्णय होगा। जो चयन के पश्चात, कोई सदस्य किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. **रिक्ति** : निम्नलिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं (रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व नोटिस के परिवर्तनाधीन है):-

पद	रिक्तियों की संख्या	स्थान	रिक्ति की तारीख
न्यायिक सदस्य	तीन	नई दिल्ली या चेन्नई या अन्य पीठें, यदि कोई हों, जो भविष्य में देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जाएगी।	19.04.2021, 11.09.2021 और 23.01.2022
तकनीकी सदस्य	दो		01.07.2021 और 21.02.2022

3. **अर्हताएं और अन्य निबंधन एवं शर्तें** : अभ्यर्थी की अर्हताएं, पात्रता, वेतन और नियुक्ति की अन्य निबंधन और शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :

(i) अर्हताएं [अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 का उप-नियम 11] :-

(क) न्यायिक सदस्य:-

(i) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो; या

(ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा है या

(iii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी मामलों से संबंधित मामलों में मुकद्में में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।

(ख) तकनीकी सदस्य:- एक सिद्ध सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश, लेखांकन या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को उपयोगी किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और न्यूनतम पच्चीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव रहा हो।

(ii) वेतन और भत्ते {अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 का नियम 10 और 11}:- सदस्य को यथास्वीकृत भत्ते सहित दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

(iii) सेवा अवधि (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5):- अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

(iv) न्यूनतम आयु (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)):- कोई व्यक्ति एनसीएलएटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदन जमा करने के लिए उन्होंने अंतिम तारीख को **50 (पचास वर्ष)** पूरे न कर लिए हों।

[**टिप्पण**: अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अभ्यर्थी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 देखें]

4. **चयन की प्रक्रिया:-** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित छानबीन-सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को सम्यक वेटेज देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी तथा वैयक्तिक अंत:क्रिया के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाएगी। अंतिम चयन समिति द्वारा योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक अंत:क्रिया पर आधारित अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया:-** पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने स्कैन किए हुए आवेदन सहायक दस्तावेजों के साथ पीडीएफ वर्जन में mappnt-nclt@gov.in ई-मेल पर 15 अक्तूबर, 2021 से अनिवार्यतः संलग्न प्रपत्र के अनुसार भेजें। ई-मेल के द्वारा आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 12 नवंबर, 2021 को अपराह्न 5:30 बजे तक है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर 22 नवंबर, 2021 को अपराह्न 05:30 तक भेजी जानी अपेक्षित है:

(i) **अर्हताएं [अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 का उप-नियम 11] :-**

(क) न्यायिक सदस्य:-

(i) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो; या

(ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा है या

(iii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी मामलों से संबंधित मामलों में मुकद्में में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।

(ख) तकनीकी सदस्य:- एक सिद्ध सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश, लेखांकन या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को उपयोगी किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और न्यूनतम पच्चीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव रहा हो।

(ii) वेतन और भत्ते {अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 का नियम 10 और 11}:- सदस्य को यथास्वीकृत भत्ते सहित दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

(iii) सेवा अवधि (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5):- अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

(iv) न्यूनतम आयु (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)):- कोई व्यक्ति एनसीएलएटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदन जमा करने के लिए उन्होंने अंतिम तारीख को **50 (पचास वर्ष)** पूरे न कर लिए हों।

[**टिप्पण**: अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अभ्यर्थी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 देखें]

4. **चयन की प्रक्रिया:-** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित छानबीन-सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को सम्यक वेटेज देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी तथा वैयक्तिक अंत:क्रिया के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाएगी। अंतिम चयन समिति द्वारा योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक अंत:क्रिया पर आधारित अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया:-** पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने स्कैन किए हुए आवेदन सहायक दस्तावेजों के साथ पीडीएफ वर्जन में mappnt-nclt@gov.in ई-मेल पर 15 अक्तूबर, 2021 से अनिवार्यतः संलग्न प्रपत्र के अनुसार भेजें। ई-मेल के द्वारा आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 12 नवंबर, 2021 को अपराह्न 5:30 बजे तक है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर 22 नवंबर, 2021 को अपराह्न 05:30 तक भेजी जानी अपेक्षित है:

श्री रियाजुल हक, अवर सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 526, ए विंग,
5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

6. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/न्यायालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आवेदन के साथ (i) आवेदन के अनुलग्नक-II के रूप में नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र (ii) समूह क अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित न्यूनतम पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर वाले अधिकारी के अप-टू-डेट सीआर/एपीएआर की स्वच्छ फोटो प्रतियां (iii) संवर्ग स्वीकृति (iv) आवेदन के अनुलग्नक-III के रूप में सतर्कता और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/स्वीकृति (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई किसी बड़ी या छोटी शास्तियां, यदि कोई हो, का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न किया जाना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पैरा 5 में उल्लिखित पते पर 22 नवंबर, 2021 को अपराह्न 5:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

7. साक्षात्कार/परिचर्चा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए ग्राहय नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

8. निर्धारित तारीख के पश्चात् तथा उपरोल्लिखित आवश्यक अनुलग्नक के बिना प्राप्त किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

21.09.21

(राकेश त्यागी)
निदेशक

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
2. सचिव, भारत सरकार, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को एनसीएलएटी की वेबसाइट पर अपलोड करें)
6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
7. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
8. अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
9. सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को रिक्ति परिपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
11. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को रिक्ति परिपत्र डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
12. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-I

<u>प्रोफार्मा</u>

उम्मीदवार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित फोटो के लिए स्थान

1. नाम :
2. जन्म की तिथि :
3. श्रेणी(एससी/एसटी/ओबीसी/अनारक्षित) :
4. पद/व्यवसाय :
5. संपर्क के लिए ब्यौरा :

	आवासीय		कार्यालय
	वर्तमान	स्थायी	
पताः			
मोबाईल/दूरभाष सं.			
ई-मेल			

6. संवर्ग/सेवा [जहाँ भी लागू हो]

7. शैक्षणिक अहर्ता (विपरीत क्रमकाल में):

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/समतुल्य संस्थान का नाम	उपाधि	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी/प्राप्तांकों का प्रतिशत	अकादमिक श्रेष्ठता	विषय/विशेषज्ञता

8. कार्य अनुभव

8क. कर्मचारी के रूप में अनुभव के लिए, वर्तमान रोजगार से शुरू कालक्रम में रोजगार रिकार्ड, विपरीत में सूचीः

क्र. सं.	नियोक्ता का नाम एवं पता (सरकारी/पीएसयू/मंत्रालय/विभाग/ अन्य कोई	पदनाम, वेतन या वेतन का स्केल (पे मेट्रिक्स में वेतन)*	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव
			से	तक	

*ऊपर क्रम संख्या भी इंगित करे, जो अपर सचिव/जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मेजर जनरल (जैसा भी आहर्ता के अंतर्गत लागू हो) या उससे ऊपर के समकक्ष हो

8ख. वर्तमान नियुक्ति के साथ शुरू कालक्रम में व्यावसायिक रिकार्ड के रूप में अनुभव के लिए, विपरीत में सूचीः

क्र.सं.	व्यवसाय का ब्यौरा	सेवा की अवधि		किए गए कार्य की प्रकृति*
		से	तक	

*जैसा कि प्रशासन/सेवा मामले/न्यायिक या अर्ध-न्यायिक/आपराधिक/दीवानी/कराधान/कंपनी कार्य/पर्यावरण मामले/वित्त/लेखा/अर्थशास्त्र/व्यापार/वाणिज्य/प्रबंधन/सार्वजनिक मामले या किसी अन्य जो लागू होता है। सरकार के साथ नियुक्ति, यदि कोई हो, के बारे में बताया जाए।

9. दिनांक जब से भारत सरकार में अपर सचिव/जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मेजर जनरल या उसके समकक्ष पद की श्रेणी का पे स्केल प्राप्त कर रहे हैं (जहाँ भी लागू हो)। :

10. आवेदक के निर्णायक अनुभव पर लेख (200 शब्दों में) [जहाँ भी लागू हो] :

11. प्रासंगिक न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष मामलों को देखने का अनुभव संक्षिप्त लेख के साथ [जहाँ भी लागू हो] : ऐसे मामलों के ब्यौरे (सूचित मामले/गैर सूचित मामले)

12. अनुभव का प्रमाण, अधिवक्ता/सीए आदि के रूप में अनुक्रमांक/पंजीकरण सं. सहित [सरकारी या न्यायिक पदाधिकारों के अतिरिक्त उम्मीदवारों के लिए] :

13. नवीनतम आईटीआर की प्रति के साथ वार्षिक आय [सरकारी या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त उम्मीदवारों के लिए] :

14. 05 मुख्य उपलब्धियों पर लेखा : (प्रत्येक 200 शब्दों में) :

15. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन, यदि कोई हैं :

16. व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों/या राजनीति पक्ष सहित अन्य निकाय के साथ संबद्धीकरण :

17. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई है, जो आप इस पद के लिए आवेदन के समर्थन में देना चाहते हैं :

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया/विकृत नहीं किया गया है। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि मैने कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई/विकृत की है; मेरी नियुक्ति बिना किसी सूचना के तुरंत निरस्तीकरण के अधीन होगी।
2. मैं चयन समिति की बैठक के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लूंगा/लूंगी
3. यदि मैं एसीसी द्वारा चयनित किया जाता/जाती हूँ, मैं नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।
4. मैं नियुक्ति के आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर पदभार ग्रहण करूंगा/करूंगी
5. मैं अवगत हूँ कि यदि मैं क्रमाक 2 से 4 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता हूँ, तो भारत सरकार मुझे संवर्ग के बाहर या किसी भी स्वायत्त निकाय और संविधिक निकाय/नियामक निकाय में नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।

स्थानः

तारीखः

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-II

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र)

1. प्रमाणित किया जाता है कि .... द्वारा दी गई विशिष्ट जानकारी सही है तथा वह अनुलग्नक-I उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध सतर्कता या अनुशासनात्मक का मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और सीवीओ द्वारा जारी की गई सतर्कता अनापत्ति अनुलग्नक (III) में संलग्न है।

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

4. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती/कु. ....पर कोई प्रमुख या गौण शास्ति आरोपित नहीं की गई है।

5. श्री/श्रीमती/कु. ....के संबंध में पिछले वर्षों की एसीआर//एपीएआर की अप-टू-डेट सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियाँ (एसीआर/एपीएआर की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति सत्यापित होनी चाहिए) इसके साथ संलग्न हैं।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक III

उन अधिकारियों का विवरण जिनके लिए सतर्कता अनापत्ति मांगी गई है

(सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षर किए जाने के लिए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा) :

2. पिता का नाम :

3. जन्म तिथि :

4. सेवानिवृत्ति की तारीख :

5. सेवा में प्रवेश की तिथि :

6. अधिकारी से संबंधित सेवा बैच/वर्ष/कैडर आदि सहित, जो भी लागू हो। :

:

7. धारित पद (पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान)

क्र.सं.	संस्था (पूरा नाम)	पदनाम तथा तैनाती का स्थान	संबंधित प्रशासन/नोडल मंत्रालय/विभाग (पीएसयू के अधिकारी के संबंध में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को सहमति सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें) :

9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण सहित कदाचार के किसी भी आरोप की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या परिणाम था (*) :

10 क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी और यदि हां, तो लगाए जाने की तारीख और दंड का ब्यौरा दें (*) :

11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र :

लंबित हैं (यदि है, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ संख्या सहित, यदि कोई आयोग का है) :

12. क्या आज की तारीख के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है (यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए) (*) :

*यदि आयोग से विगत में सतर्कता अनापत्ति प्राप्त की गई है, तो उसके बाद की अवधि की जानकारी प्रदान की जाए।

तारीख :

(नाम एवं हस्ताक्षर)